फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर, मुकाम अलवर

संजीव गुप्ता वगैरा बनाम राजस्थान सरकार वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट मु0 नं0 ....3/..........सन –2023

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2023	प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री शैलेन्द्र भार्गव द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है। प्राथर्ना पत्र दर्ज अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर होकर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 12-6 –2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अलवर	
12-6-23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०/ तहसीलदार अलवर रिपोर्ट अप्राप्त इन्तजार रिपोर्ट मे पत्रावली दिनांक 21-6-23 को पेश होवे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अलवर	
21-6-23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० तहसीलदार अलवर रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु पत्रावली दि० 26-6-23 को पेश होवे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अलवर	

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

26-6-23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०, पत्रावली वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 3-7-23 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

3-7-23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 6-7-23 को पेश होवे

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

6-7-23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०, पत्रावली वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 10-7-23 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

10-7-23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०, बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13-7-23 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23	पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रमाणित प्रति तहसीलदार अलवर को पृथक से भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री अशोक कुमार त्यागी (R.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
3/11	30.05.2023	136 LR Act	13.07.2023

बउनवान

01:–संजीव गुप्ता पुत्र स्व0 श्री अमरनाथ गुप्ता जाति वैश्य अग्रवाल निवासी 265 आर्यनगर स्कीम न0 1 अलवर

प्रार्थी

बनाम

01:–तहसीलदार अलवर (राजस्थान सरकार)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा एक्ट आर.एक्ट 136

निर्णय

प्रार्थीयान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मूगस्का तहसील अलवर मे स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा प्रार्थी के पिता स्व0 अमरनाथ पुत्र श्री हीरालाल की खातेदारी की आराजी थी स्व0 श्री अमरनाथ गुप्ता का देहान्त दिनॉक 27–4–2016 को हो गया है तथा प्रार्थी बतौर वारिस आराजी पर काबिज है सैटिलमेन्ट स0 2051 मे विवादित आराजी के नवीन खसरा नम्बरान व नवीन नक्शा कायम किया गया।

साबिक खसरा नम्बर	नवीन खसरा नम्बर
96 रकबा 9 बिस्वा	118 रकबा 12 ऐयर
96/2 रकबा 10 बिस्वा	118/489 रकबा 15 ऐयर
96/2 रकबा 2 बिस्वा	

उपरोक्त आराजी का प्रार्थी द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ हेतु रूपान्तरण कराया जा चुका था जिस पर प्रार्थी की टाटा कम्पनी की दुकान चालू है उपरोक्त रूपान्तरण अतिरिक्त जिलाधीश कृषि भूमी रूपान्तरण नगरीय क्षेत्र अलवर के आदेश दिनाक 07–9–1983 के द्वारा किया गया तथा जिसका पटटा क्रमॉक 101 दिनॉक 07–09–1983 बहक प्रार्थी के पिता स्व0 अमरनाथ गुप्ता के हक मे जारी किया गया।

उपरोक्त खसरा नम्बर जिलाधीश अलवर द्वारा आदेश दिनॅाक 04–02–1983 क्षरा पेट्रोल पम्प के लिये समपरिवर्तन किया गया तथा उक्त आदेश जिलाधीश अलवर द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि भूमी का सिनेमा, होटल व पेट्रोल पम्प की स्थापनार्थ आवंटन नियमन एंव रूपान्तरण) नियम 1978 के प्रावधानो के तहत किया गया तथा तत्पश्चात एक लीज डीड राजस्थान सरकार द्वारा प्रार्थी के पिता स्व0 अमरनाथ गुप्ता के हक मे 20 वर्ष के लिये दिनॅाक 16–5–1983 को निष्पादित की गई तत्पश्चात दिनॅाक 27–1–2006 से आगामी 20 वर्ष की

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

अवधि के लिये लीज का नवीनीकरण किया गया उक्त आराजी पर प्रार्थी का पेट्रोल पम्प लगातार जारी है मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051 ताा भूरूपान्तरण आदेश अतिरिक्त जिलाधीश अलवर मय पटटा दिनॅाक 07–09–1983 तथा भू सम्परिवर्तन आदेश जिला कलक्टर अलवर दिनॅाक 04–2–1983 तथा उसकी अनुपालना मे निष्पादित की गई लीज डीड दिनॅाक 16–5–1983 की प्रतिलिपी प्रस्तुत है। समपरिवर्तन आदेश जिला कलक्टर अलवर दिनॅाक 04–02–1983 व लीज डीड बहक प्रार्थी दिनॅाक 16–5–1983 की अनुपालना मे एक नामान्तकरण के द्वारा खसरा नम्बर 96/2 रकबा 10 ऐयर तथा 96/3 रकबा 2 ऐयर वाके ग्राम मूगस्का का समर्पण मुताबिक आज्ञानुसार जिलाधीश अलवर बहक राज सरकार दर्ज किया गया गौर तलब है कि उक्त इन्तकाल स0 443 मे तथा लीज डीड दिनॅाक 16.5.1983 की पुश्त पर यह स्पष्ट दर्ज है कि ग्राम मुगस्का के खसरा नम्बर 96 के पूर्वी भाग मे पेट्रोल पम्प हेतु भूमी रूपान्तरण किया गया है इस प्रकार भली भाति स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 96/2 रकबा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 96/3 रकबा 2 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 118/489 रकबा 15 ऐयर कायम किये गये है तथा उक्त भूमी पेट्रोल पम्प हेतु सक्षम राजसरकार से भू रूपान्तरित भूमी है जिसकी लीज डीड आज भी बहक प्रार्थी प्रभावी है तथा जिस पर प्रार्थी का पेट्रोल पम्प सुचारू रूप से चालू है उक्त भूमी आराजी के तरफ पूरब को स्थित है। साबिक खसरा नम्बर 96/1 रकबा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 118 रकबा 12 ऐयर कायम किये गये है उक्त आराजी व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित आराजी है तथा जिसका पटटा सक्षम अधिकारी द्वारा दिनॅाक 07–09–1983 बहक प्रार्थी जारी किया गया है वह आराजी खसरा नम्बर के तरफ पश्चिम स्थित है तथा जिस पर प्रार्थी की दुकान मोटर्स चालू है। दौरान बन्दोबस्त सम्वत 2051 बंदोबस्त कर्मचारीगण द्वारा एक लिपिकीय त्रृटि कारित की गई तथा जो नया नक्शा बनाया गया उसमे नवीन खसरा नम्बर 118 रकबा 12 ऐयर को तरफ पूरब दिखा दिया गया तथा नवीन खसरा नम्बर 18/489 रकबा 15 ऐयर (पेट्रोल पम्प हेतु रूपान्तरित भूमी) को तरफ पश्चिम दर्शा दिया गया है जबकि वास्तब मे मौके पर पेट्रोल पम्प हेतु रूपान्तरित भूमी खसरा नम्बर 118/489 रकबा 15 ऐयर तरफ पूरब को स्थित है जैसा कि रूपान्तरित आदेश तथा लीज डीड व इन्तकाल स0 443 मे दर्ज है तथा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमी खसरा नम्बर 118 रकबा 12 ऐयर वास्तव मे आराजी तरफ पश्चिम मे स्थित है अतः प्रार्थी की स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 12 ऐयर तथा आराजी खसरा नम्बर 118/489 रकबा 15 ऐयर वाके ग्राम मूगस्का का नक्शा सैटिलमेन्ट सम्वत 2051 दुरूस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 118/489 को तरफ पूरब मे दर्शाया जावे तथा खसर नम्बर 118 को तरफ पश्चिम को दर्शाया जावे तथा उपरोक्त लिपिकीय त्रृटि को दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार अलवर रिपोर्ट कमांकः राजस्व/2023/202 दिनॅाक दिनॅाक 16–6–23 द्वारा अबगत कराया गया कि कार्यालय जिलाधीश अलवर के आदेश कमॅाक एफ/4/राज–बी/80/2010–16 दिनॅाक 04–3–83 के अनुसार ग्राम मूगस्का के आराजी खसरा नम्बर 96 के पूर्वी हिस्से का रूपान्तरण अमरनाथ गुप्ता पेट्रोलियम को स्वीकृत किया गया है तथा नामान्तरण स0 443 वाके ग्राम मूगस्का के अनुसार खसरा न0 96 रकबा 1 बीधा 1 बिस्वा अमरनाथ पुत्र हीरालाल कोम वैश्य अग्रवाल से बटा न0 96/2 रकबा 10 बिस्वा, 96/3 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

2 बिस्वा राजस्थान सरकार स्वीकृत हुआ जिसके कालम न0 16 के अनुसार समर्पण नामा0 द्वारा समर्पणनामा श्री अमरनाथ गुप्ता व आज्ञा श्रीमान जिलाधीश एंव तहसील कार्यालय अलवर मु.ख.न0 14 से इस ख0 न0 की भूमी तरफ पूर्व 100 फुट पश्चिम 85 फुट उत्तर 115 फुट दक्षिण 150 फुट समर्पित राज सरकार के हक मे की गई है सडक के लिये चौडी रखने के लिये 20 फुट समर्पित सरकार की गई दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल स0 2051 वाके ग्राम मुगस्का के अनुसार हाल ख0 न0 118 रकबा 0.12 है0 का साबिक ख0 न0 96/1 रकबा 9 बिस्वा तथा 118/489 रकबा 15 है0 का साबिक खसरा नमब्र 96/2 रकबा 10 बिस्वा, 96/3 रकबा 2 बिस्वा दर्ज है। तथा मुताबिक हाल नक्शा हाल जमाबन्दी वाके ग्राम मुगस्का के अनुसार तरफ पूर्व ख0 न0 118 रकबा 0.12 है0 तथा तरफ पश्चिम ख0 न0 118/489 रकबा 0.15 है0 दर्ज है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2038, मृत्यु प्रमाण पत्र (स्व0अमरनाथ), रजिर्स्टड वसीयत बहक प्रार्थी, मिलान क्षेत्रफल स0 2051 , आदेश जिलाधीश अलवर दिनॉक 04–2–1983, रजिस्टर्ड लीज डीड दिनॉक 16.5. 1983, भू0 रूपान्तरण आदेश अजि0 जिलाधीश दिनॉक 07–9–1983, पटटा स0 101 दिनॉक 07–9–1983, नामान्तरण स0 443 एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (भूमीधारी) अलवर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी के स्वामित्व की रूपान्तरित आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 12 ऐयर व खसरा नम्बर 118/489 रकबा 15 ऐयर वाके ग्राम मूगस्का का नक्शा सेटिलमेन्ट सम्वत 2051 को दुरस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 118/489 को नक्शे मे तरफ पूरब दर्शाया जावे तथा खसरा न0 118 रकबा 12 ऐयर को तरफ पश्चिम दर्शाया जाकर त्रृटि को दुरूस्त किया जाकर पालना से 15 दिवस मे न्यायालय अवगत करावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अशोक कुमार त्यागी R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी अलवर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री अशोक कुमार त्यागी (R.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
3/11	30.05.2023	136 LR Act	13.07.2023

बउनवान

1:–संजीव गुप्ता पुत्र स्व0 श्री अमरनाथ गुप्ता जाति वैश्य अग्रवाल निवासी 265 आर्यनगर स्कीम न0 1 अलवर

प्रार्थी

बनाम

1:–तहसीलदार अलवर (राजस्थान सरकार)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा एक्ट आर.एक्ट 136

निर्णय

प्रार्थीयान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मूगस्का तहसील अलवर मे स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा प्रार्थी के पिता स्व0 अमरनाथ पुत्र श्री हीरालाल की खातेदारी की आराजी थी स्व0 श्री अमरनाथ गुप्ता का देहान्त दिनॉक 27–4–2016 को हो गया है तथा प्रार्थी बतौर वारिस आराजी पर काबिज है सैटिलमेन्ट स0 2051 मे विवादित आराजी के नवीन खसरा नम्बरान व नवीन नक्शा कायम किया गया।

साबिक खसरा नम्बर	नवीन खसरा नम्बर
96 रकबा 9 बिस्वा	118 रकबा 12 ऐयर
96/2 रकबा 10 बिस्वा	118/489 रकबा 15 ऐयर
96/2 रकबा 2 बिस्वा	

उपरोक्त आराजी का प्रार्थी द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ हेतु रूपान्तरण कराया जा चुका था जिस पर प्रार्थी की टाटा कम्पनी की दुकान चालू है उपरोक्त रूपान्तरण अतिरिक्त जिलाधीश कृषि भूमी रूपान्तरण नगरीय क्षेत्र अलवर के आदेश दिनाक 07–9–1983 के द्वारा किया गया तथा जिसका पटटा क्रमॉक 101 दिनॉक 07–09–1983 बहक प्रार्थी के पिता स्व0 अमरनाथ गुप्ता के हक मे जारी किया गया।

उपरोक्त खसरा नम्बर जिलाधीश अलवर द्वारा आदेश दिनॉक 04–02–1983 क्षरा पेट्रोल पम्प के लिये समपरिवर्तन किया गया तथा उक्त आदेश जिलाधीश अलवर द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि भूमी का सिनेमा, होटल व पेट्रोल पम्प की स्थापनार्थ आवंटन नियमन एंव रूपान्तरण) नियम 1978 के प्रावधानो कें तहत किया गया तथा तत्पश्चात एक लीज डीड राजस्थान सरकार द्वारा प्रार्थी के पिता स्व0 अमरनाथ गुप्ता के हक मे 20 वर्ष के लिये दिनॉक 16–5–1983 को निष्पादित की गई तत्पश्चात दिनॉक 27–1–2006 से आगामी 20 वर्ष की

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी

अवधि के लिये लीज का नवीनीकरण किया गया उक्त आराजी पर प्रार्थी का पेट्रोल पम्प लगातार जारी है मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051 ताा भूरूपान्तरण आदेश अतिरिक्त जिलाधीश अलवर मय पटटा दिनॉक 07–09–1983 तथा भू सम्परिवर्तन आदेश जिला कलक्टर अलवर दिनॉक 04–2–1983 तथा उसकी अनुपालना मे निष्पादित की गई लीज डीड दिनॉक 16–5–1983 की प्रतिलिपी प्रस्तुत है। समपरिवर्तन आदेश जिला कलक्टर अलवर दिनॉक 04–02–1983 व लीज डीड बहक प्रार्थी दिनॉक 16–5–1983 की अनुपालना मे एक नामान्तकरण के द्वारा खसरा नम्बर 96/2 रकबा 10 ऐयर तथा 96/3 रकबा 2 ऐयर वाके ग्राम मूगस्का का समर्पण मुताबिक आज्ञानुसार जिलाधीश अलवर बहक राज सरकार दर्ज किया गया गौर तलब है कि उक्त इन्तकाल स0 443 मे तथा लीज डीड दिनॉक 16.5.1983 की पुश्त पर यह स्पष्ट दर्ज है कि ग्राम मुगस्का के खसरा नम्बर 96 के पूर्वी भाग मे पेट्रोल पम्प हेतु भूमी रूपान्तरण किया गया है इस प्रकार भली भाति स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 96/2 रकबा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 96/3 रकबा 2 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 118/489 रकबा 15 ऐयर कायम किये गये है तथा उक्त भूमी पेट्रोल पम्प हेतु सक्षम राजसरकार से भू रूपान्तरित भूमी है जिसकी लीज डीड आज भी बहक प्रार्थी प्रभावी है तथा जिस पर प्रार्थी का पेट्रोल पम्प सुचारू रूप से चालू है उक्त भूमी आराजी के तरफ पूरब को स्थित है। साबिक खसरा नम्बर 96/1 रकबा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 118 रकबा 12 ऐयर कायम किये गये है उक्त आराजी व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित आराजी है तथा जिसका पटटा सक्षम अधिकारी द्वारा दिनॉक 07–09–1983 बहक प्रार्थी जारी किया गया है वह आराजी खसरा नम्बर के तरफ पश्चिम स्थित है तथा जिस पर प्रार्थी की दुकान मोटर्स चालू है। दौरान बन्दोबस्त सम्वत 2051 बंदोबस्त कर्मचारीगण द्वारा एक लिपिकीय त्रुटि कारित की गई तथा जो नया नक्शा बनाया गया उसमे नवीन खसरा नम्बर 118 रकबा 12 ऐयर को तरफ पूरब दिखा दिया गया तथा नवीन खसरा नम्बर 18/489 रकबा 15 ऐयर (पेट्रोल पम्प हेतु रूपान्तरित भूमी) को तरफ पश्चिम दर्शा दिया गया है जबकि वास्तब मे मौके पर पेट्रोल पम्प हेतु रूपान्तरित भूमी खसरा नम्बर 118/489 रकबा 15 ऐयर तरफ पूरब को स्थित है जैसा कि रूपान्तरित आदेश तथा लीज डीड व इन्तकाल स0 443 मे दर्ज है तथा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमी खसरा नम्बर 118 रकबा 12 ऐयर वास्तव मे आराजी तरफ पश्चिम मे स्थित है अतः प्रार्थी की स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 12 ऐयर तथा आराजी खसरा नम्बर 118/489 रकबा 15 ऐयर वाके ग्राम मूगस्का का नक्शा सैटिलमेन्ट सम्वत 2051 दुरूस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 118/489 को तरफ पूरब मे दर्शाया जावे तथा खसर नम्बर 118 को तरफ पश्चिम को दर्शाया जावे तथा उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार अलवर रिपोर्ट कमांकः राजस्व/2023/202 दिनॉक दिनॉक 16–6–23 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय जिलाधीश अलवर के आदेश कमॉक एफ/4/राज–बी/80/2010–16 दिनॉक 04–3–83 के अनुसार ग्राम मूगस्का के आराजी खसरा नम्बर 96 के पूर्वी हिस्से का रूपान्तरण अमरनाथ गुप्ता पेट्रोलियम को स्वीकृत किया गया है तथा नामान्तरण स0 443 वाके ग्राम मूगस्का के अनुसार खसरा न0 96 रकबा 1 बीधा 1 बिस्वा अमरनाथ पुत्र हीरालाल कोम वैश्य अग्रवाल से बटा न0 96/2 रकबा 10 बिस्वा, 96/3 रकबा

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार स्वीकृत हुआ जिसके कालम न0 16 के अनुसार समर्पण नामा0
समर्पणनामा श्री अमरनाथ गुप्ता व आज्ञा श्रीमान जिलाधीश एंव तहसील कार्यालय अलवर
14 से इस ख0 न0 की भूमी तरफ पूर्व 100 फुट पश्चिम 85 फुट उत्तर 115 फुट
150 फुट समर्पित राज सरकार के हक मे की गई है सडक के लिये चौडी रखने के
20 फुट समर्पित सरकार की गई दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल स0 2051 वाके ग्राम
के अनुसार हाल ख0 न0 118 रकबा 0.12 है0 का साबिक ख0 न0 96/1 रकबा 9
तथा 118/489 रकबा 15 है0 का साबिक खसरा नमब्र 96/2 रकबा 10 बिस्वा,
रकबा 2 बिस्वा दर्ज है। तथा मुताबिक हाल नक्शा हाल जमाबन्दी वाके ग्राम मुगस्का
नुसार तरफ पूर्व ख0 न0 118 रकबा 0.12 है0 तथा तरफ पश्चिम ख0 न0 118/489
0.15 है0 दर्ज है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी
अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की
के को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया
उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह
निर्धारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को
त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी
त 2038, मृत्यु प्रमाण पत्र (स्व0अमरनाथ), रजिस्टर्ड वसीयत बहक प्रार्थी, मिलान क्षेत्रफल
2051 , आदेश जिलाधीश अलवर दिनॉक 04–2–1983, रजिस्टर्ड लीज डीड दिनॉक 16.5.
83, भू0 रूपान्तरण आदेश अजि0 जिलाधीश दिनॉक 07–9–1983, पटटा स0 101 दिनॉक
–9–1983, नामान्तरण स0 443 एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया
र्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
कार किया जाकर तहसीलदार (भूमीधारी) अलवर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी के
मित्व की रूपान्तरित आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 12 ऐयर व खसरा नम्बर 118/489
कबा 15 ऐयर वाके ग्राम मूगस्का का नक्शा सेटिलमेन्ट सम्वत 2051 को दुरस्त किया जावे
था खसरा नम्बर 118/489 को नक्शे मे तरफ पूरब दर्शाया जावे तथा खसरा न0 118 रकबा
2 ऐयर को तरफ पश्चिम दर्शाया जाकर त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर पालना से 15 दिवस
न्यायालय अवगत करावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
अशोक कुमार त्यागी R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी अलवर

निर्णय प्रमाणित प्रति तहसीलदार अलवर को भेजकर लेख है कि यदि दीवान–पत्रालय का स्थगन आदेश नहीं है तो आदेश की पालना कर पालना से अवगत करावे।

उपखण्ड अधिकारी अलवर

SO
-7-23

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner